प्रशासन गांवो के संग–2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू कैम्प घण्टेल
पीठासीन अधिकारी श्री उगमसिंह राजपुरोहित, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
43/2021	दावा 88 RTA	09.04.2021	29.04.2023

1. सन्तोषदेवी पत्नी जमनाधर प्रजापत जाति प्रजापत निवासिनी ग्राम घण्टेल हाल निवासिनी वार्ड नं. 43, बागला विद्यालय के पीछे, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. ताराचन्द प्रजापत पुत्र जमनाधर प्रजापत जाति प्रजापत निवासिनी ग्राम घण्टेल हाल निवासिनी वार्ड नं. 43, बागला विद्यालय के पीछे, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. अनिल कुमार प्रजापत पुत्र जमनाधर प्रजापत जाति प्रजापत निवासिनी ग्राम घण्टेल हाल निवासिनी वार्ड नं. 43, बागला विद्यालय के पीछे, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू जिला चूरू

–मुख्य प्रतिवादी–

2. सरोज पुत्री जमनाधर प्रजापत जाति प्रजापत निवासिनी वार्ड नं. 43, बागला विद्यालय के पीछे, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. ममता पुत्री जमनाधर प्रजापत जाति प्रजापत निवासिनी वार्ड नं. 43, बागला विद्यालय के पीछे, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

–गौण प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थित –
1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी वादीगण
2. पैरोकार राज प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित।
3. अधिवक्ता श्री आनन्द प्रजापत प्रतिवादी सं. 2 से 3

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि कृषि भूमि ख.नं. 862/173 तादादी 5.8173 हैक्टेयर वाके रोही घण्टेल तहसील व जिला चूरू में वादीगण व गौण प्रतिवादी सं. 2 से 3 की संयुक्त खातेदारी की है जिस पर वादीगण व गौण प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त व खातेदारी चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि हमारी पैतृक है। वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के पति व पिता जमनाधर प्रजापत का जब देहान्त हुआ तब उनका विरासतन इन्तकाल दर्ज करने के समय वादीगण के नाम गलत बादूदेवी, रामचन्द्र व लीलाधर दर्ज कर दिये गये जबकि वादीगण के सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम क्रमशः सन्तोष देवी, ताराचन्द प्रजापत व अनिल कुमार प्रजापत हैं। वादीगण के पति व पिता के वारिसों में बादूदेवी, रामचन्द्र व लीलाधर नाम के कोई वारिस नहीं हैं। वादीगण के पति व पिता जमनाधर की पत्नी का सही नाम बादू देवी की बजाय सन्तोष देवी, पुत्रगण रामचन्द्र व लीलाधर के सही नाम ताराचन्द प्रजापत व अनिल कुमार प्रजापत हैं। इस प्रकार बादूदेवी व सन्तोष देवी, रामचन्द्र व ताराचन्द प्रजापत एवं लीलाधर व अनिल कुमार प्रजापत तीनों एक ही व्यक्तियों के नाम हैं। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम गलत दर्ज होने के कारण वादीगण के.सी.सी. व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:55:48 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने नाम दुरूस्त करवाने के लिये यह दावा पेश किया है। अतः वादीगण की ओर से दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 862/173 तादादी 5.8173 हैक्टेयर वाके रोही घण्टेल तहसील व जिला चूरू में वादीगण के नाम बादूदेवी के बजाय सन्तोष देवी, रामचन्द्र के बजाय ताराचन्द प्रजापत एवं लीलाधर के बजाय अनिल कुमार प्रजापत दर्ज फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में सही नाम अंकन करने का आदेश प्रदान किया जावे।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए एवं प्रतिवादी सं. 2 से 3 की ओर से श्री आनन्द प्रजापत एडवोकेट ने वकालतनामा एवं इकबालदावा पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर तहसीलदार, चूरू से नाम दुरूस्ती के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। पैरोकार राज ने दावा पर 'No objection' अंकित किया जिस पर पत्रावली सीधे साक्ष्यवादी में रखी गई। साक्ष्यवादी सन्तोषदेवी, ताराचन्द प्रजापत, अनिल कुमार प्रजापत ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये जिनमें दावा में अंकित तथ्यों का दोहराव किया गया। साक्ष्यवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैम्प घण्टेल में पेश हुई। शिविर के दौरान तहसीलदार, चूरू से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अंकित आया कि आज दिनांक 29.04.2023 को ग्राम घण्टेल में आयोजित शिविर के मजमे आम में उपस्थित व्यक्तियों से वादीगण सन्तोषदेवी, ताराचन्द प्रजापत व अनिल कुमार प्रजापत के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि बादूदेवी एवं सन्तोषदेवी पत्नी जमनाधर एक ही महिला का नाम है। इसी प्रकार ताराचन्द प्रजापत एवं रामचन्द्र प्रजापत एक ही व्यक्ति का नाम है। इसी प्रकार लीलाधर एवं अनिल कुमार प्रजापत एक ही व्यक्ति का नाम हैं। शिविर के दौरान ही गौण प्रतिवादी सं. 3 ममता एवं वादीगण ने नाम दुरूस्ती के सम्बन्ध में अपने–अपने शपथ पत्र पेश कर अंकित किया कि उक्त नामों की दुरूस्ती के सम्बन्ध में भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी हमारी होगी। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों एवं तहसीलदार, चूरू की ओर से पेश मौका रिपोर्ट से नाम दुरूस्ती के सम्बन्ध में दावा में अंकित तथ्य सही पाये जाने पर तथा कोई आपत्ति नहीं पायी जाने पर अधिवक्ता वादीगण ने बहस का निवेदन किया जिस पर बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दावा वादीगण स्वीकार करने का निवेदन किया तथा पैरोकार राज ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

हमने पत्रावली, पेश दस्तावेजों, पक्षकारों के शपथ पत्रों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट का अवलोकन कर तथ्यों पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 862/173 तादादी 5.8173 हैक्टेयर वाके रोही घण्टेल तहसील व जिला चूरू के [illegible] रिकार्ड में वादीगण के नाम सन्तोष देवी के बजाय बादूदेवी, ताराचन्द प्र[illegible] अनिल कुमार प्रजापत के बजाय लीलाधर में दर्ज है जिसको वादीगण दुरूस्त [illegible] चाहते हैं। वादीगण द्वारा पेश दावा एवं दावा के समर्थन में प्रस्तुत द[illegible] स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमि वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की पैतृक कृषि भूमि है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम गलत दर्ज चले आने के वादीगण को के.सी.सी. व अन्य सरकारी योजनाओं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:55:48 IST
Reason: SelfAttested

का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादीगण वादगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हैं इसलिए उन्हें राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नामों को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादीगण का नाम दुरूस्त किये जाने से राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। इस प्रकार वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजों, शपथ पत्रों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार करने योग्य है।

निर्णय

अतः लोक अदालत की भावना से वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजों, शपथ पत्रों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि ख.नं. 862/173 तादादी 5.8173 हैक्टेयर वाके रोही घण्टेल तहसील व जिला चूरू में वादीगण के नाम बादूदेवी के स्थान पर सन्तोष देवी, रामचन्द्र के स्थान पर ताराचन्द प्रजापत एवं लीलाधर के स्थान पर अनिल कुमार प्रजापत दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। यदि भविष्य में नाम बाबत् कोई विवाद होगा तो उसके जिम्मेवार स्वयं वादीगण होंगे। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैम्प घण्टेल के मजमे आम में सुनाया गया।

(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:55:48 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू कैम्प घण्टेल

ब इजलास : श्री उगमसिंह राजपुरोहित आर.ए.एस.

1. सन्तोषदेवी पत्नी जमनाधर प्रजापत जाति प्रजापत निवासिनी ग्राम घण्टेल हाल निवासिनी वार्ड नं. 43, बागला विद्यालय के पीछे, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. ताराचन्द प्रजापत पुत्र जमनाधर प्रजापत जाति प्रजापत निवासिनी ग्राम घण्टेल हाल निवासिनी वार्ड नं. 43, बागला विद्यालय के पीछे, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. अनिल कुमार प्रजापत पुत्र जमनाधर प्रजापत जाति प्रजापत निवासिनी ग्राम घण्टेल हाल निवासिनी वार्ड नं. 43, बागला विद्यालय के पीछे, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

—वादीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू जिला चूरू

—मुख्य प्रतिवादी—

2. सरोज पुत्री जमनाधर प्रजापत जाति प्रजापत निवासिनी वार्ड नं. 43, बागला विद्यालय के पीछे, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. ममता पुत्री जमनाधर प्रजापत जाति प्रजापत निवासिनी वार्ड नं. 43, बागला विद्यालय के पीछे, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

—गौण प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. 43 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट वादीगण, मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:—

लोक अदालत की भावना से वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजों, शपथ पत्रों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि ख.नं. 862/173 तादादी 5.8173 हैक्टेयर वाके रोही घण्टेल तहसील व जिला चूरू में वादीगण के नाम बादूदेवी के स्थान पर सन्तोष देवी, रामचन्द्र के स्थान पर ताराचन्द प्रजापत एवं लीलाधर के स्थान पर अनिल कुमार प्रजापत दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 29 माह अप्रेल सन् 2023 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैम्प घण्टेल में इजलास आम में जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:55:48 IST
Reason: SelfAttested

(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू